अध्याय-I

विहंगावलोकन

अध्याय-I: विहंगावलोकन

1.1 परिचय

यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के कुछ विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा में पाये गये मामलों को शामिल करती है। इस प्रतिवेदन का मुख्य उद्देश्य विधायिका के संज्ञान में लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उद्देश्य कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने में समर्थ करना है, साथ ही ऐसी नीतियाँ और निर्देश तैयार करने में भी जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन की ओर अग्रसर करेंगे और बेहतर शासन में योगदान है।

यह प्रतिवेदन दो अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है, जो निम्नवत हैः

- **अध्याय 1** में सरकार द्वारा सृजित राजस्व की प्रवृत्ति की समीक्षा, लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में करों की बकाया राशि जो संग्रहण के लिए लंबित है, अनुपालन लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई आदि तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित हैं।
- **अध्याय 2** में 'झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली' पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित अवलोकन तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित दो कंडिकाएं शामिल हैं।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 वर्ष 2023-24 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर और गैर-कर राजस्व, राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों और शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के साथ पिछले चार वर्षों के संबंधित आंकड़े **तालिका-1.1** में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका-1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	16,771.45	16,880.08	21,289.61	25,117.51	28,004.76
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**13.69**	**0.65**	**26.12**	**17.98**	**11.49**
	• गैर कर राजस्व	8,749.98	7,564.01	10,030.75	12,830.05	13,425.14
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	**5.96**	**(-) 13.55**	**32.61**	**27.91**	**4.64**
कुल		**25,521.43**	**24,444.09**	**31,320.36**	**37,947.56**	**41,429.90**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं ड्यूटी में राज्य का अंश	20,593.04	19,712.23	27,734.64	31,404.12	37,352.35
	• सहायता अनुदान	12,302.67	11,993.41	10,666.86	10,893.54	9,146.26
कुल		**32,895.71**	**31,705.64**	**38,401.50**	**42,297.66**	**46,498.61**
3	**राज्य सरकार का कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**58,417.14**	**56,149.73**	**69,721.86**	**80,245.22**	**87,928.51**
4	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**44**	**44**	**45**	**47**	**47**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 41,429.90 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 47 प्रतिशत था। 2023-24 के दौरान प्राप्तियों का शेष 53 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों में क्रमशः 11.49 प्रतिशत और 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विभाजन **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

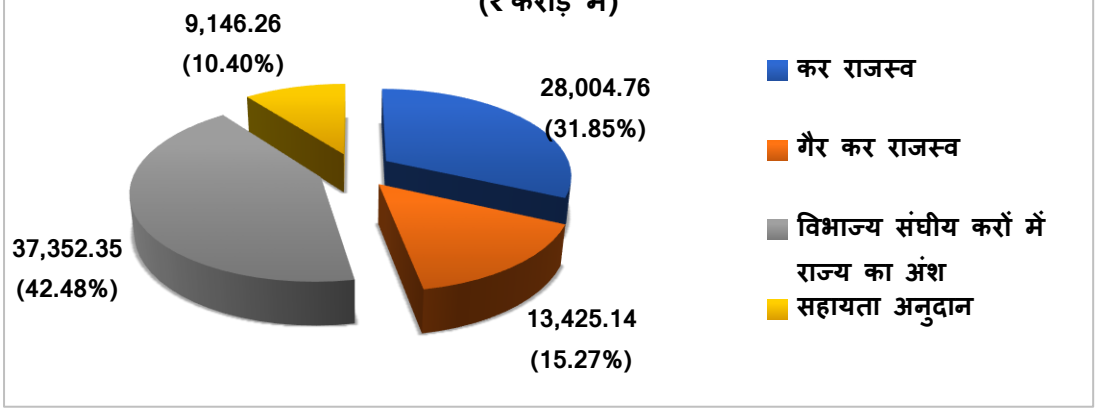

1.2.2 वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान प्राप्त कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 की तुलना में 2023-24 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,996.33	4,300.89	5,213.40	6,270.53	6,948.92	10.82
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	8,417.72	7,930.56	9,557.40	11,374.02	12,347.72	8.56
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2,009.27	1,821.09	1,806.61	2,056.88	2,376.10	15.52
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	560.33	708.14	987.24	1,107.64	1,467.74	32.51
5	वाहनों पर कर	1,128.98	976.35	1,262.78	1,573.77	1,756.40	11.60
6	विद्युत पर कर एवं ड्यूटी	236.24	195.26	791.72	1,131.82	1,395.37	23.29
7	भू राजस्व	337.98	872.93	1,621.21	1,557.26	1,665.70	6.96
8	आय पर अन्य कर तथा व्यय	83.93	74.77	46.15	45.09	46.65	3.46
9	अन्य	0.67	0.09	3.10	0.50	0.16	(-) 68.00
कुल		**16,771.45**	**16,880.08**	**21,289.61**	**25,117.51**	**28,004.76**	**11.49**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

चार्ट-1.2 में वर्ष 2023-24 के लिए कर राजस्व का विभाजन दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2

2023-24 के लिए कर राजस्व का विभाजन

(₹ करोड़ में)

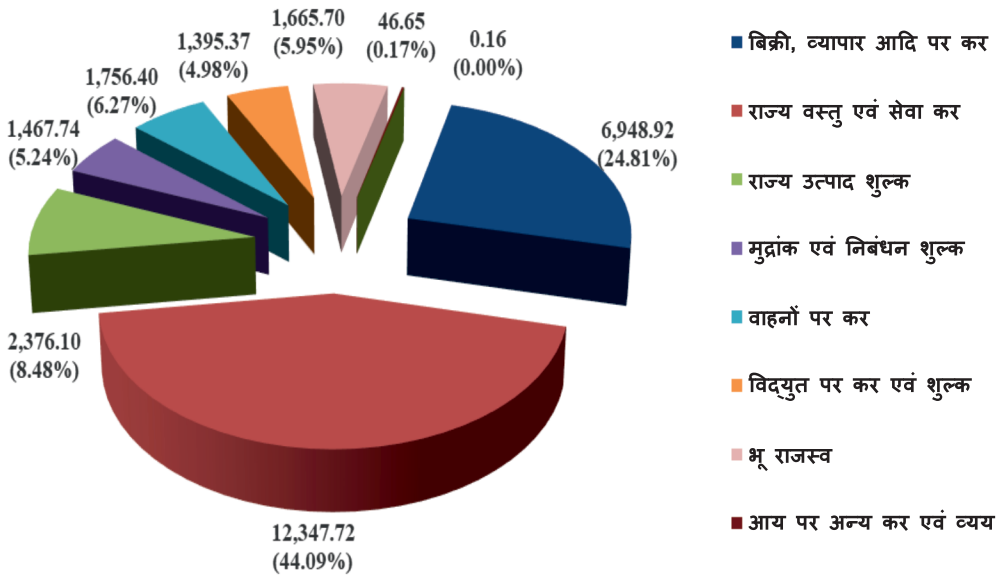

राजस्व प्राप्तियों के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में, 2022-23 की तुलना में, 2023-24 में प्राप्तियों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारण, निम्नानुसार थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: 10.82 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा (सितंबर 2025) उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि लघु शीर्ष '102- राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ' 2022-23 में ₹ 6,263.12 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹ 6,833.50 करोड़ हो गईं।

राज्य उत्पाद शुल्क: विभाग ने (दिसंबर 2024) 15.52 प्रतिशत की वृद्धि का कारण नई उत्पाद शुल्क नीति का कार्यान्वयन और कोविड-19 महामारी के बाद बाजार अर्थव्यवस्था में सुधार होना बताया।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: 'मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क' में 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में 32.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2023-24 के दौरान, लघु शीर्ष '102- स्टाम्प की बिक्री' से प्राप्तियाँ 2022-23 में ₹ 576.63 करोड़ से बढ़कर ₹ 766.45 करोड़ हो गईं।

वाहनों पर कर: विभाग ने (नवंबर 2024) 2023-24 में 11.60 प्रतिशत की वृद्धि का कारण 2022-23 की तुलना में 10.41 प्रतिशत अधिक वाहनों का विक्रय होना बताया।

विद्युत पर कर एवं ड्यूटी: 23.29 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभाग द्वारा (सितंबर 2025) उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि लघु शीर्ष

'101- विद्युत की खपत एवं बिक्री पर कर' से प्राप्तियाँ 2022-23 में ₹ 1,131.82 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹ 1,395.37 करोड़ हो गईं।

1.2.3 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अर्जित गैर-कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3

गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2022-23 की तुलना में 2023-24 में वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	5,461.36	5,012.47	7,535.03	10,035.96	10,596.83	5.59
2	फसल कृषि व्यवस्था	160.4	555.55	5.34	1.27	7.40	482.68
3	वानिकी और वन्य जीवन	17.59	328.17	655.76	637.86	815.69	27.88
4	चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	8.75	270.71	8.78	91.53	9.75	(-) 89.35
5	ब्याज प्राप्तियाँ	309.51	81.36	95.54	282.02	430.98	52.82
6	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	84.61	18.05	3.21	81.11	79.49	(-) 2.00
7	अन्य[1]	2,707.76	1,297.70	1,727.09	1,700.30	1,485.00	(-) 12.66
कुल		**8,749.98**	**7,564.01**	**10,030.75**	**12,830.05**	**13,425.14**	**4.64**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2023-24 के लिए गैर-कर राजस्व का विभाजन **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.3

2023-24 के लिए गैर कर राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

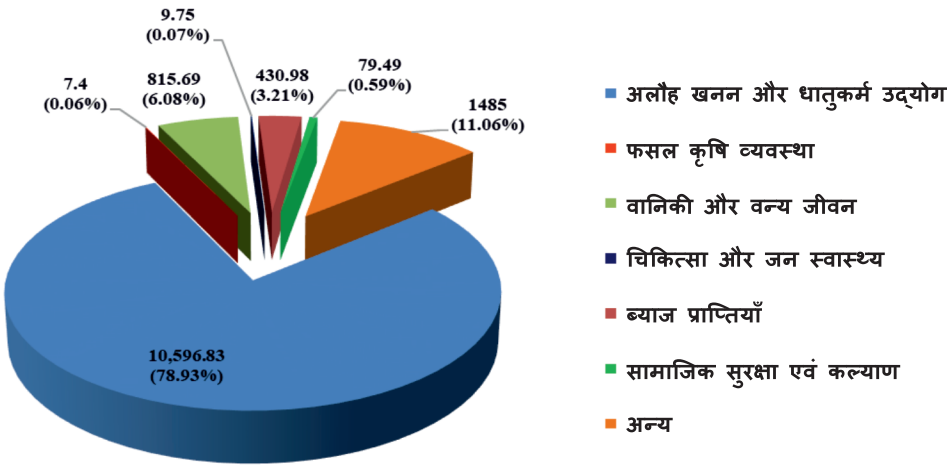

[1] अन्य सेवाओं में सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं।

संबंधित विभागों ने कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भिन्नताओं के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया। निम्नलिखित गैर-कर राजस्व घटकों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताओं देखी गईं:

फसल कृषि व्यवस्था: 2023-24 में 'फसल कृषि व्यवस्था' के अंतर्गत प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 482.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि लघु शीर्ष- '800- अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत प्राप्तियाँ, 2022-23 में ₹ 0.05 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹ 5.52 करोड़ हो गईं।

वानिकी और वन्य जीवन: 2023-24 में 'वानिकी और वन्य जीवन' के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 27.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि लघु शीर्ष '103- पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियाँ' उप-शीर्ष '01- वानिकी' के अंतर्गत 2022-23 में ₹ 244.67 करोड़ से बढ़कर 2023-24 के दौरान ₹792.63 करोड़ हो गईं।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्य: 2023-24 में 'चिकित्सा और जन स्वास्थ्य' के अंतर्गत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 89.35 प्रतिशत कमी हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि '101- कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियाँ' उप-शीर्ष '01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ' के अंतर्गत प्राप्तियाँ 2022-23 की तुलना में 2023-24 में काफी कम थीं।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2024 तक तीन प्रमुख राजस्व शीर्षों के संबंध में बकाया ₹ 6,492.45 करोड़ था, जिसमें से ₹ 5,520.03 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि **तालिका-1.4** में विस्तार से वर्णित है।

तालिका-1.4

राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2024 को बकाया	31 मार्च 2024 को पाँच वर्षों से अधिक	लंबित बकाये की स्थिति						
				निर्गत माँग	न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित	सरकार द्वारा स्थगित	सुधार/ समीक्षा	विक्रेता/ पार्टी दिवालिया	बट्टे खाते में डाला गया	विशिष्ट कार्रवाई सूचित नहीं की गयी
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,760.10	4,987.73	1,097.47	1,136.14	721.46	4.65	76.35	0	2,724.03
2	वाहनों पर कर	647.63	493.39	147.89	4.90	---	---	---	---	494.85
3	राज्य उत्पाद	84.72	38.91	56.61	7.65	0.07	0.11	---	0.16	20.12
कुल		**6,492.45**	**5,520.03**							

लेखापरीक्षा के सक्रिय अनुसरण के बावजूद अन्य राजस्व शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 2024 तक के बकाया राजस्व, लंबित संग्रहण की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई (सितंबर 2025)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति के द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकलाप हेतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ कंडिकाओं पर स्वतः कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने इन्हें जाँच हेतु चयनित किया हो या नहीं। विभागों को पी.ए.सी. को, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षित, विस्तृत की गई कार्रवाई टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करनी थी, जिसमें उनके द्वारा की गई या प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई इंगित की गयी हो।

वर्ष 2008-09 से 2021-22 तक के राजस्व पर लेखापरीक्षा कंडिकाओं में 302 लेखापरीक्षा कंडिकाएं हैं। इनमें से, पी.ए.सी. ने 136 कंडिकाओं पर चर्चा की है और तीन कंडिकाओं और 16 उप-कंडकाओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। पुनः, एक ए.टी.एन. प्राप्त हुआ है और एक कंडिका के मामले में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है।

पुनः, 2000-01 से 2007-08 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विभागों पर छोड़े गए थे, इनमें 270 लंबित कंडिकाएं थे, जिनमें से 90 कंडिकाओं पर पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु चयनित किया गया था। इसके विरूद्ध, पी.ए.सी. ने पाँच कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की थीं, दो कंडिकाओं के संबंध में ए.टी.एन. प्राप्त हुए थे और दो कंडिकाओं के संबंध में विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, जैसा कि **तालिका 1.5** में विस्तार से वर्णित है।

तालिका-1.5: पी.ए.सी. चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष 2008-09 से 2021-22 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	270	302
पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु चयनित	90	136
पी.ए.सी. द्वारा चर्चा हेतु नहीं ली गयी	180	166
पी.ए.सी. के द्वारा अनुशंसा की गयी	5 कंडिकाएं	3 कंडिकाएं 16 उप-कंडिकाएं
ए.टी.एन. प्राप्त	2	1[2]
विभागों के द्वारा की गयी कार्रवाई	2	1[2]

[2] पी.ए.सी. प्रतिवेदन संख्या 18, कंडिका 7.6.1/AR 2009-10, रॉयल्टी के विलंब से भुगतान पर ब्याज का गैर उदग्रहण, खनन विभाग, झारखण्ड सरकार

1.5 लेखापरीक्षा पर विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपन्न होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिए निर्गत करता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

वर्ष 2008-09 से 2023-24 तक जारी की गई नि.प्र. की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2024 तक 1,187 नि.प्र. से संबंधित 10,987 कंडिकाएँ बकाया थे। इन नि.प्र. में बताई गई संभावित वसूल की जा सकने वाली राजस्व ₹ 19,007.64 करोड़ थी, जबकि 2023-24 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 41,429.90 करोड़ थी। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया हैं।

तालिका-1.6

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विभाग	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	313	5,728	8,938.52
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	55	93.65
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	178	936	1,409.82
3	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	128	936	4,560.56
4		मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	168	870	37.75
5	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	204	1,578	1,170.17
6	खनन एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	179	879	2,787.63
कुल			**1,187**	**10,987**	**19,007.64**

2008-09 से निर्गत किए गए 321 नि.प्र. के प्रथम जवाब भी, जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के तीन विभागों[3] को शामिल किया गया था और 2023-24 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू राजस्व और मुद्रांक और निबंधन शुल्क से संबंधित 144 लेखापरीक्षायोग्य इकाइयों में से 40 (27.78 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना-जाँच की गई। इन तीन विभागों में, 2022-23 के दौरान

[3] उत्पाद एवं मद्य निषेध; राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार एवं परिवहन विभाग

₹ 4,738.29 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया, जिसमें से 40 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 3,346.70 करोड़ (70.63 प्रतिशत) संग्रहित किया। 40 लेखापरीक्षित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने परिवहन वाहनों से कर का गैर-संग्रहण, एकमुश्त कर की गैर-वसूली, हरित कर का गैर-उद्ग्रहण, निर्माण उपकरण वाहनों से एकमुश्त कर का कम उद्ग्रहण, थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनिवार्य न्यूनतम स्कन्ध के रखरखाव के लिए अर्थदण्ड का कम उद्ग्रहण, पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण आदि पाया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने **"झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/ जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली"** पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.वि.अ.ले.प.) किया। लेखापरीक्षा में पाई गई अनियमितताओं का वित्तीय निहितार्थ ₹ 1,065.86 करोड़ था, जिसमें से संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित 1,91,066 मामलों में ₹ 1,065.86 करोड़ की कम-आकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया और 4,247 मामलों में ₹ 15.65 करोड़ की वसूली की।

इस प्रतिवेदन में **"झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली"** पर वि.वि.अ.ले.प. के निष्कर्ष और वर्ष के दौरान आयोजित उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की लेखापरीक्षा पर आधारित दो कंडिकाएं शामिल हैं। प्रतिवेदन में शामिल अनियमितताओं का वित्तीय प्रभाव ₹ 524.22 करोड़ है, जिसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 524.22 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और ₹ 15.65 करोड़ की वसूली की है।

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूक परीक्षण लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिए, विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और ऐसी ही त्रुटियां/चूक हुई है या नहीं, और, यदि ऐसा हो, तो उन्हें सुधारें और एक ऐसी प्रणाली स्थापित करें ताकि ऐसी त्रुटियों/चूक को रोका जा सके।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में कर और गैर-कर प्राप्तियों से संबंधित अवलोकन शामिल हैं, जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और दो अन्य अवलोकन/कंडिकाएं शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में निहित महत्वपूर्ण अवलोकनों पर निम्नलिखित कंडिकाओं में संक्षेप में चर्चा की गई है।

झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./जि.प.का.) की कार्यप्रणाली

परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की गई आवश्यक नागरिक-केंद्रित सेवाओं और राज्य की राजस्व प्राप्तियों में इसके योगदान के मद्देनजर "झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों/जिला परिवहन कार्यालयों (रा.प.प्रा./क्षे.प.प्रा./ जि.प.का.) की कार्यप्रणाली" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

(वि.वि.अ.ले.प.) आयोजित की गई थी। झारखण्ड में राज्य परिवहन प्राधिकरण (रा.प.प्रा.), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों (क्षे.प.प्रा.) और जिला परिवहन कार्यालयों (जि.प.का.) के भीतर संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अगस्त 2024 और मार्च 2025 के बीच 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए एक लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा ने इष्टतम राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों, बेहतर निगरानी और सख्त अनुपालन की तत्काल आवश्यकता को ध्यान रखा। मोटर वाहन कर और शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण में अनियमितताओं पर भी ध्यान रखा गया। परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के तीन कार्यालयों और झारखण्ड में छह जिला परिवहन कार्यालयों के नमूना-जाँच पर आधारित इस प्रतिवेदन का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹ 415.89 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, 2023-24 में 13 जि.प.का. और दो क्षे.प.प्रा. के अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान निर्गत की गई ₹ 96.67 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ वाले लेखापरीक्षा अवलोकनों को भी इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नवत संक्षिप्त किया गया है:

विभाग ने मसौदा समझौते में शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति (एल.एल.) के लिए ₹ 25 का निश्चित शुल्क का प्रावधान शामिल किया, जबकि विक्रेता एल.एल. की छपाई के अलावा कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान नहीं कर रहे थे। विभाग द्वारा वसूले जाने वाले ₹ 150 के वैधानिक शुल्क के अतिरिक्त यह शुल्क, एल.एल. के इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है। नतीजतन, विक्रेता ने 2017-18 से 2023-24 की अवधि के दौरान आवेदकों से ₹ 4.09 करोड़ संग्रहित किए।

कंडिका 2.3.2.1

मोटर वाहन अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, 2019 से 2024 की अवधि के दौरान पाँच नमूना-जाँचित जि.प.का. में 18 साल से कम उम्र के आवेदकों को गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए 305 चालक अनुज्ञप्ति जारी किए गए थे। यह पाया गया कि इसका कारण सारथी में प्रावधानों का अनियमित मानचित्रण होना था।

कंडिका 2.3.2.2

विभाग ने स्वचालित चालन परीक्षण पथ स्थापित नहीं किए जैसा कि आवश्यक था और अस्थायी, घटिया पथों पर चालन परीक्षण आयोजित किए जिससे चालक योग्यता मूल्यांकन की पर्याप्तता के बारे में चिंताएं बढ़ गईं।

कंडिका 2.3.2.4, 2.3.2.5, 2.3.2.6

2019-24 के दौरान 6,640 वाहनों को जारी किए गए अस्थायी पंजीकरण (टी.आर.) का बाद में स्थायी पंजीकरण नहीं हुआ। वाहन एप्लीकेशन में चेतावनी के अभाव और टी.आर. के अनुश्रवण करने में जि.प.का. की अक्षमता के कारण सड़कों पर अपंजीकृत

वाहनों की आवाजाही का खतरा बढ़ गया और इसने कर के अपवंचन के अवसर भी प्रदान कर दिया।

कंडिका 2.3.3.1

अप्रैल 2004 और मार्च 2009 (1,320 व्यक्तिगत और 1,108 परिवहन वाहनों) के बीच पंजीकृत वाहन समाप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ बिना नवीकरण, निरसन या समर्पण के बिना संचालित हुए, इससे शुल्क और करों में ₹8.72 करोड़ का गैर-उद्ग्रहण हुआ। यह भी देखा गया कि 18,843 व्यक्तिगत वाहनों की विक्रय मूल्य (मोटर वाहन कर की गणना के लिए आवश्यक) वाहन एप्लीकेशन में दर्ज नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप कर का गैर-आकलन हुआ। पुनः, अप्रैल 2022 और मार्च 2024 के दौरान 15 साल से अधिक पुराने 2,690 परिवहन वाहनों के दुरूस्ती प्रमाण पत्र (सी.एफ.), बिना उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर.सी.) नवीकरण किये हुए, नवीकृत किये गये थे।

2023-24 में 13 नमूना-जाँचित जि.प.का. की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने इसी प्रकार के मामले पाए, जिसमें 7,748 नमूना-जाँचित परिवहन वाहनों में से, 1,835 वाहनों के सी.एफ. और 15 वर्ष से अधिक पुराने 2,099 वाहनों जिनका आर.सी., 1 अप्रैल 2022 से नवीकरण हेतु लंबित थे। परिणामस्वरूप सी.एफ. और आर.सी. नवीकरण शुल्क की राशि ₹2.55 करोड़ का गैर-उदग्रहण हुआ।

कंडिका 2.3.3.2

31 जनवरी 2019 से पूर्व पंजीकृत 2,686 निर्माण उपकरण वाहनों (सी.ई.भी.) को, संशोधित प्रावधानों के अनुसार उनकी लागत मूल्य के आधार पर एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) उदग्रहण के बजाय उनके पंजीकृत लदान भार (पं.ल.भा.) के आधार पर "माल वाहन" के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत और करारोपित किया गया था। इस गलत वर्गीकरण के कारण 112 वाहनों पर ₹ 2.01 करोड़ की राशि के करों का कम उद्ग्रहण हुआ। शेष 2,574 वाहनों का विक्रय मूल्य वाहन एप्लीकेशन में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे ओ.टी.टी. का आकलन नहीं किया जा सका।

इसी तरह की विसंगतियां 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गईं, जिसमें 89 परिवहन वाहनों को सी.ई.वी. के बजाय माल वाहनों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 1.56 करोड़ की राशि के करों का कम उद्ग्रहण हुआ। शेष 517 वाहनों पर ओ.टी.टी. का आकलन नहीं किया जा सका क्योंकि उनका विक्रय मूल्य वाहन एप्लीकेशन में दर्ज नहीं किया गया था।

कंडिका 2.3.3.6

वाहन एप्लीकेशन के माध्यम से अस्थायी पंजीकरण (टी.आर.) जारी करने के लिए विभाग की अक्षमता के कारण, मेसर्स टाटा मोटर्स ने छह महीने के बजाय एक महीने की वैधता के साथ टी.आर. जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप 2021-24 की अवधि के दौरान ₹ 327.35 करोड़ का कम संग्रहण हुआ। पुनः, विक्रेताओं को बेचे गए

379 वाहनों को टी.आर. के बजाय व्यापार पंजीकरण चिन्ह (व्या.पं.चि.) का उपयोग करके अनियमित रूप से भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.92 लाख के कर का अपवंचन हुआ।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह अवलोकन किया गया कि मेसर्स टाटा मोटर्स ने 2022-23 के दौरान विक्रेताओं को विक्रय किये गये 687 वाहन व्या.पं.चि. पर भेजे, परिणामस्वरूप ₹ 1.13 करोड़ की शुल्कों और करों का गैर-उद्ग्रहण हुआ था।

कंडिका 2.3.3.8

दुरूस्ती प्रमाण पत्र (सी.एफ.) नवीकरण की पहचान करने और लागू करने के लिए एक तंत्र की कमी के कारण समाप्त हो चुके सी.एफ. के साथ 4,458 वाहन संचालित थे, परिणामस्वरूप नवीकरण शुल्क और जुर्माना में ₹ 7.58 करोड़ की गैर-वसूली हुई। इसके अलावा, एक प्रणालीगत खामी के कारण वाहन एप्लिकेशन हरित कर को 'मोटर वाहन कर भुगतान' खंड के बजाय 'सी.एफ. नवीकरण' खंड से जोड़ रहे थे परिणामस्वरूप सी.एफ. की समाप्ति वाली अवधि के दौरान हरित कर का गैर-उद्ग्रहण हुआ, जिसके कारण पुनः ₹ 60.13 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, 13 नमूना जाँचित जि.प.का. में 6,003 परिवहन वाहनों, जिनका सी.एफ. समाप्त हो चुका था, संचालित पाये गये, परिणामस्वरूप ₹ 7.27 करोड़ की शुल्क और जुर्माना का गैर-उदग्रहण हुआ।

कंडिका 2.3.4.2

2019-24 के बीच तीन क्षे.प.प्रा. द्वारा जारी 14,984 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों में से, 1,443 रा.अ. का अनुवर्ती वार्षिक प्राधिकार नवीकृत नहीं किए गए थे, परिणामस्वरूप समेकित और प्राधिकरण शुल्क की राशि ₹ 5.26 करोड़ की गैर-वसूली हुई। पुनः, 258 सार्वजनिक सेवा वाहनों जिनका कर और दुरूस्ती प्रमाण पत्र वैध थे के अनुज्ञापत्रों का नवीकरण नहीं किया गया था, जिससे ₹ 46.79 लाख की अनुज्ञापत्र शुल्क की गैर-वसूली हुई।

इसी प्रकार, 2023-24 की अवधि के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि दो क्षे.प.प्रा. में जारी किए गए 5,254 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र में से 1,461 के प्राधिकरण का नवीकरण नहीं किया गया था, जिसके कारण ₹ 5.62 करोड़ की राजस्व की गैर-वसूली हुई।

कंडिका 2.3.5.1 और 2.3.5.4

स्वचालित दुरूस्ती प्रबंधन प्रणाली (मई 2024) के शुभारंभ और स्वचालित परीक्षण केंद्रों (ए.टी.एस.) को अनिवार्य करने हेतु एम.ओ.आर.टी.एच. की अधिसूचना (सितंबर 2021) के बावजूद, जुलाई 2023 तक झारखण्ड में केवल एक ए.टी.एस. की स्थापना की गई थी, जिससे एकीकरण अधूरा रह गया और सी.एफ. अभी भी मैन्युअल रूप से जारी किए जा रहे थे। इसी प्रकार, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आर.भी.एस.एफ.)

स्थापित नहीं की गईं, परिणामस्वरूप वाहन स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना में विलंब हुआ।

कंडिका 2.3.6.1 और 2.3.6.2

परिवहन वाहनों से ₹ 22.34 करोड़, एकमुश्त कर प्रमादियों से ₹ 20.52 करोड़ और पारस्परिक समझौते वाहनों से ₹ 89.90 लाख के कर के गैर-उदग्रहण के कारण राजस्व संग्रहण में कमी आई थी।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 13 नमूना-जाँचित जि.प.का. में 6,925 परिवहन वाहनों के मालिकों से ₹ 62.93 करोड़ की मोटर वाहन कर और जुर्माना संग्रहण नहीं किया गया था। पुनः, 3,979 वाहन मालिकों से ₹ 10.93 करोड़ की ओ.टी.टी. और जुर्माना इन जि.प.का. में संग्रहित नहीं किए गए थे। पारस्परिक समझौतों के तहत संचालित 806 बसों में से, 80 बसों के ₹ 1.08 करोड़ मोटर वाहन कर, ₹ 0.72 करोड़ अर्थदंड सहित, के भुगतान में चूक पाई गयी थी।

कंडिका 2.3.7.2, 2.3.7.3 और 2.3.7.4

वाहन एप्लीकेशन में संशोधित कर संरचना के मानचित्रण में विभागीय निष्क्रियता के कारण पूर्व-संशोधित दरों पर एम्बुलेंस और कैम्पर वैन पर कर लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप तीन जि.प.का. में ₹ 37.40 लाख का राजस्व नुकसान हुआ।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 12 जि.प.का. में 191 एम्बुलेंस और कैम्पर वैन पर पूर्व-संशोधित दरों पर कर लगाया गया था, जिसके कारण ₹ 1.17 करोड़ की राशि का कर कम उदग्रहण हुआ।

कंडिका 2.3.7.6

वाहन एप्लीकेशन में विसंगतियों के कारण 820 मामलों में विलंबित मोटर वाहन कर भुगतान पर ₹ 27.71 लाख के अर्थदंड का उदग्रहण नहीं किया गया और इस चूक का पता कर अधिकारियों द्वारा नहीं लगाया जा सका।

इसी प्रकार, 2023-24 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 13 जि.प.का. में 3,827 लेनदेन में कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 2.70 करोड़ की राशि का अर्थदंड कम लगाया गया था।

कंडिका 2.3.7.7

जनवरी 2021 और मार्च 2024 के बीच विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से संग्रहित ₹ 47.21 करोड़ की राशि बैंक द्वारा सरकारी खाते में दो से आठ महीने के विलंब के साथ प्रेषित किया गया था, जिसके लिए बैंक ₹ 1.23 करोड़ का दंडात्मक ब्याज चुकाने के लिए उत्तरदायी था।

कंडिका 2.3.7.9

यह देखा गया कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान सी.एफ. के नवीकरण के दौरान ₹ 18.54 करोड़ की जी.एस.टी. की राशि संग्रहित की गई थी, जिसमें छह नमूना-जाँचित जि.प.का. के ₹ 9.95 करोड़ सम्मिलित थे। हालांकि, जी.एस.टी. पंजीकरण और एक पृथक्करण तंत्र की कमी कारण, राशि को उचित जी.एस.टी. शीर्षों के बजाय "0041-वाहनों पर कर" में गलत तरीके से जमा किया गया था।

कंडिका 2.3.7.10

मो.वा. अधिनियम के तहत दंडित 693 अतिभारित वाहनों से, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम के तहत लगने वाला जुर्माना और अर्थदंड नहीं संग्रहित किया गया, जिससे ₹ 2.69 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा, वेब्रिज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे मो.वा. अधिनियम के तहत जुर्माना लगाए जाने के बावजूद सार्वजनिक सड़कों पर अतिभारित वाहन संचालित थे।

कंडिका 2.3.8.2 और 2.3.8.4

अनुशंसाएं:

- **विभाग स्मार्ट कार्ड सेवाओं के लिए निविदा प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा कर सकता है और कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है और क्रय दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।**
- **विभाग सभी श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित आयामों वाले स्वचालित चालक परीक्षण पथ के स्थापना की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है, ताकि नियमावलियों में निर्धारित चालक दक्षता परीक्षण किया जा सके।**
- **विभाग राज्य के सभी जिलों में स्वचालित परीक्षण केंद्र की स्थापना पर विचार कर सकता है तथा मो.वा.नि. को दुरूस्ती परीक्षण संचालित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं उपकरण उपलब्ध करवा सकता है।**
- **विभाग वे-ब्रिज की स्थापना पर विचार कर सकता है ताकि मो.वा. अधिनियम के अनुसार अतिभारित वाहनों को दंडित किया जा सके।**

अन्य अवलोकन/कंडिकाएं

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

थोक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शराब के अनिवार्य न्यूनतम स्कंध के गैर-संधारण के कारण ₹ 8.35 करोड़ के उत्पाद शुल्क के नुकसान के समतुल्य अर्थदण्ड का विभाग द्वारा कम उदग्रहण किया गया।

(कंडिका 2.6)

उत्पाद प्राधिकारियों की ओर से उचित तत्परता की कमी के परिणामस्वरूप 42 बार और रेस्तराँ अनुज्ञप्तिधारियों, जिन्होंने 1 से 304 दिनों के बीच के विलंब के साथ कम उठाई गई शराब के समतुल्य राजस्व और न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व जमा किया था, पर ₹ 3.04 करोड़ के विलंब शुल्क का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

(कंडिका 2.7)